कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022–23/ 6862 दिनांक 10/6/23

निमित्त– अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

विषय :–चोराखेडी से नयागांव वाया महेशपुरा सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

Proposal no.FP/RJ/ROAD/34657/2022 (1.872ha)

संदर्भ– संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा का पत्र कमांक 3140 दिनांक 14.6.2023 के कम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है की उच्च कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के पार्ट–1 मे आक्षेप लगाये गये है

अत बिन्दु संख्या –1 से 3 एव 5, 6 व 8 की पूर्ति कर शीघ्र इस कार्यालय मे प्रेषित करे ताकि प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(संलग्न पत्र की छाया प्रति)

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/ दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

E/CHORAKHEDI VAYA MHESHPURA ROAD 1.872 ha

Scanned with CamScanner

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेल–ccffdo.kota@gmail.com दूरभाष:– 0744–2500194

क्रमांक एफ13( )एफसीए / समुवसं / 2023 / 3140 दिनांक : 14.6.2023

निमित्त,

उप वन संरक्षक
बारां

विषय Construction of Chorakhari to nayagoun via maheshpur. (Online Proposal No.FP/RJ/ROAD/34657/2018)

संदर्भ आपका पत्रांक एफ ( )एफ.सी.ए. / उ.व.सं. / 2022–23 / 6506 दिनांक 01.06.2023 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरान्त निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएं / स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:–

1. भाग–I के बिन्दु J मे प्रस्ताव को किसी अनुसूचित क्षेत्र में स्थिति होना नहीं बताया गया है, स्थिति स्पष्ट करें।
2. भाग–I के बिन्दु I में प्रस्तावित रोड़ किसी संरक्षित क्षेत्र में स्थित होना नही बताया गया है। पुनः चैक करें हाल ही में घोषित कंजर्वेशन रिजर्व का भाग है या नही, अगर है, तो तदानुसार संशोधन करावें।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चोराखेड़ी से नयागांव वाया महेशपुरा सड़क निर्माण के दौरान निकलने वाले वेस्ट को केवल बाहर डालने की वचनबद्धता दी गयी है। जबकि उत्पादित मक वन उपज की श्रेणी में आता है। उत्पादित मक में कितना रोड़ निर्माण में लिया जावे को राशि का आंकलन कर विभाग में जमा कराने की वचनबद्धता प्रस्तुत की जावे।
4. पार्ट–II के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि रक्षित वनभूमि है। इसके गजट नोटिफिकेशन की प्रति अपेक्षित है।
5. प्रस्ताव में कुल 56 पेड़ आ रहे है, इन पेडों की कटाई आवश्यकता है या नही स्पष्ट करें। यदि पेडों का कटान होना है तो उनके काटन तथा वन विभाग के डिपो तक पहुँचाने का व्यय प्रयोक्ता अभिकरण वहन करेगा। इस आशय की वचनबद्धता प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त करें।
6. आपके द्वारा प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर 6 फिट उँचीं दीवार तथा दोनों क्षेत्रों को जोड़ने एवं 4–5 अण्डरपास के निर्माण प्रस्तावित किये है। किन्तु इसका कोई युक्तियुक्त आधार नही बताया गया है। अण्डरपास कहां–कहां बनेगें स्पष्ट नही है। साथ ही जी.पी.एस. कॉडिनेटस भी उपलब्ध नही कराये है। इन कार्यो का पुनः विश्लेषण करें। अगर कोई कार्य करवाया जाना है तो उसे स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में शामिल करें।

Signature valid
Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.06.14 1?:53:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4027002

Scanned with CamScanner

7. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पूर्ण प्रतीत नही होती है। रिपोर्ट के बिन्दु ए व बी में जो लागू को उसे बोल्ड किया जाना अपेक्षित है और बिन्दु सी में वांछित अनुसार रिपोर्ट अपेक्षित है।

8. चैक लिस्ट 18 व 20 में प्रत्यावर्तित वन भूमि 1.872 हैक्टर की एवज में प्राप्त गैर वनभूमि 10 खसरा नम्बरों में होना बताया है। इसके अलावा Layout Plan of Alternate Land for forest Sheet Ganjan to Sunwas का दिया गया है। संशोधित ले– आउट अपेक्षित है।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.06.14 :53:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4027002

Scanned with CamScanner